577

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009पार्ट-1 जयपुर दिनांक 3 May 2012

आदेश

विषय :- राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन बाबत।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में किसी योजना में आरक्षित विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आरक्षित दर पर उक्त सुविधाओं के विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का प्रावधान है।

किसी भी योजना में सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क समर्पित की जाती है। भूमि की बढ़ती हुई कीमत तथा विकास लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुये विकासकर्ताओं के लिए इन सुविधाओं को विकसित किया जाना कठिन हो रहा है। इस दृष्टिकोण से राज्य सरकार द्वारा विकास लागत कम करने के लिए विक्रय योग्य सुविधा क्षेत्र की 5000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल की भूमि आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर तथा 5000 वर्गमीटर से अधिक भूमि का भाग आवासीय आरक्षित दर पर विकासकर्ता को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(एन. एल. मीना)
शासन उप सचिव-तृतीय